

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश :: जबलपुर

—: आदेश :—

क्रमांक : **565**/स्था.सैट / 2025

जबलपुर, दिनांक **18** सितम्बर, 2025

श्री सूरजभान दुबे, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में वर्णित प्रावधानानुसार निर्धारित प्रपत्र -28 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 08.09.2025 को एतद् द्वारा स्वीकार करते हुये उन्हें दिनांक 10.10.2025 (अपरान्ह) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

Sd/-
(धरमिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल

क्रमांक : **566**/स्था.सैट / 2025

जबलपुर, दिनांक **18** सितम्बर, 2025

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ-इंदौर/ग्वालियर,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन)/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट में अपलोड कराने हेतु,
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
6. विशेषकर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर,
7. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय जबलपुर,
8. ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार,(एम.)(प्रोटोकाल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
9. लेखाधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर,
10. सहायक स्थापना/लेखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर,
11. श्री सूरजभान दुबे, भृत्य,, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)